

28/10/25

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:- 11-10-25

"ग्रामीण सेवा शिविर"

2025/464

कैम्प कोर्ट ता. गौर

कसान्त बनाम रा. द. सरगा

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 11-10-25

पटवारी हल्का 285/पट.पु.2 भू. अभिलेख निरीक्षक क. र. ब. सा. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम के खाता संख्या..... में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	<u>ठा. 285/पट.पु.2</u>	<u>22-74</u>	<u>281</u>	<u>केशोबाई पु.</u>	<u>कसान्त पु.</u>	
02.				<u>पत्थरा</u>	<u>पत्थरा</u>	
03.						
04.						

क
उपखण्ड अधिकारी
नादौती
कैम्प कोर्ट ता. गौर

दिनांक:- 11-10-25

क्रमांक:-

तेलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, सटवार हल्का 285/पट.पु.2।
03. प्रार्थी कसान्त।

क
उपखण्ड अधिकारी
नादौती

